

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

पत्रांक: 253 /रेरा/ पंजीकरण-सत्यापन/ 2017-2018
सेवा में,

दिनांक 11, जनवरी, 2018

मेसर्स सुपर रियलटेक प्रा.लि.

117, श्रेष्ठता विहार, दिल्ली-110092

ई-मेल:- superrealtech@yahoo.com

विषय: रेरा में पंजीकृत करायी गयी परियोजना के सम्बन्ध में भ्रामक / अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.up-rera.in पर अपनी निम्नलिखित परियोजना का पंजीकरण कराया गया है:-

Oxy Homez (Block-O, X & Y) (UPRERAPRJ4541)

आपके द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी निम्नलिखित सूचनाएं / अटैचमेन्ट्स /विवरण, भ्रामक / अपूर्ण है:-

1- Details of apartment

2- Sanction map not given

अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत परियोजनाओं का सही विवरण उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित प्रमोटर उत्तरदायी हैं और अधिनियम का इस प्रकार उल्लंघन अधिनियम की धारा-7 और 60 अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण दिनांक 30.01.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समय से स्पष्टीकरण न देने पर रेरा में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आदेश पारित कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष रेरा / प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन उ.प्र. शासन को सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अबरार अहमद)

सचिव